

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: १६

दिनांक: 15-10-2024

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश//

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सीमा करौल आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (लिक अधिकारी) दौसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक No. E.V./07/2024 Dated 12-10-2024 के द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 (सोमवार) का अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त आदेश की पालना में दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 (सोमवार) को सम्पूर्ण दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अन्य) की सुनवाई हेतु श्रीमती कविता मीना न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई को रिमाण्ड ड्यूटी संबंधी उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है।

नोट:-शेष वर्णित शर्तें पूर्वानुसार रहेगी।

(सीमा करौल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- ५१६८

दिनांक:- 15/10/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 04- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
- 05- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
- 06- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 07- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 08- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 09- उप- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 10- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 11- जिला कारागृह दौसा
- 12- सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 13- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

(सीमा करौल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)